प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

केशोरायपाटन (185) (अजा) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मै घोषणा करता हू कि-श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा (नाम)

ग्राम विजय नगर तह0 के0पाटन जिला बून्दी (0राज) (पता)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई है|

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ गई है।

स्थान:-बून्दी

तारीख:- 03.12.2023

हस्ताक्षर...... परहानिक्षका सार्कस्मरी रिट आफिसर अखण्ड एवं एखण्डण्ड मजिस्ट्रेट (Sum) केशोरायपाटन (185)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legisleetive Assembly of RAJASTHAN State from the KESHORAIPATAN (185) (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri CHUNNILAL C.L. PREMI BAIRWA (Name)

VILLAGE VIJAY NAGAR THE. K.PATAN DISTRICT BUNDI (RAJ.) (Address)

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- BUNDI

Date-03.12.2023

सिद्धिपागांगुङ्गिसिक्टा स्रावण्ड अंग्रिगो एवं ग्रवण्ड मिनस्ट्रेट (SDM) केशोरायपाटन (185)